<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>13/03/2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 06.03.2025 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) और अन्य के मामले में 24 आरोपियों यानी सुरेश कुटे, मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 11.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आदेशिका(प्रोसेस) जारी की है।

ईडी ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से सुरेश कुटे और अन्य द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में आईपीसी, 1860 और एमपीआईडी अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य लोगों के पास था। इसने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं और 12% से 14% तक ब्याज देने का दावा किया। पीएमएलए जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुरेश कुटे और अन्य ने 4 लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके डीएमसीएसएल में पैसा जमा करने के लिए लुभाया। हालांकि, जमा राशि परिपक्व होने पर निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके साथ धोखाधड़ी हुई।

ईडी की जांच से पता चला कि डीएमसीएसएल के धन का गबन सोसायटी के प्रबंधन द्वारा किया गया था, जिसमें सुरेश कुटे और अन्य लोगों ने कुटे समूह (सुरेश कुटे और परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों का समूह) की विभिन्न कंपनियों को ऋण की आड़ में 2,467 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि को अवैध रूप से और धोखाधड़ी पूर्वक हटाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। इन धोखाधड़ी वाले ऋण राशियों के वितरण के बाद, कुटे समूह की संस्थाओं के कई खातों के माध्यम से या सीधे नकदी के रूप में उनके द्वारा धनराशि निकाल ली गई। समाज से प्राप्त धन का उपयोग उनके अपने निजी लाभों जैसे नए व्यवसायों में निवेश, संपत्ति खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 09.08.2024, 20.09.2024 और 14.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया था। इन तलाशी अभियानों के दौरान, 11 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्तियां फ्रीज/जब्त की गईं। ईडी ने 24.09.2024 को 85.88 करोड़ रुपये, 09.10.2024 को 1,002.79 करोड़ रुपये और 05.11.2024 को 333.82 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए। इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1433.48 करोड़ रुपये (लगभग) है। ईडी ने पहले 07.01.2025 को सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया था जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।